# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(21)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 88-IV/97 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.1996 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 130/अपील/1993-94.

---

1. सुन्दरबाई बेवा बिरजीचन्द्र
2. भिकमचन्द्र पिता बिरजीचन्द्र
3. अशोक पिता बिरजीचन्द्र

निवासी मोरतलाई, तहसील पानसेमल,
जिला खरगौन, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन तर्फे राजस्व निरीक्षक
   पानसेमल, जिला खरगौन
2. प्रवीण पिता ओंकार जोशी, नि. खेतिया
3. हरि पिता धुमा नि. मोरतलाई
4. रणजीत पिता भावसिंह बंजारा
5. श्रवण पिता मागु
6. तत्थू पिता कडू,
   निवासीगण सदर .....अनावेदकगण

---

श्री एच. एन. फडके, अभिभाषक, आवेदकगण

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 5/3/19 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित दिनांक 30.11.1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम टेमला व मोरतलाई तहसील पानसेमल के ग्रामवारियों द्वारा तहसीलदार, पानसेमल के समक्ष एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की गई कि आवेदक द्वारा ग्राम टेमला व मोरतलाई की कांकड़ तोडकर आने जाने का रास्ता संकरा कर दिया है एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। अत: अतिक्रमण हटाया जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 10/अ-68/90-91 दर्ज कर दिनांक 15.03.1991 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक को अतिक्रामक ठहराया जाकर रूपये 500.00 अर्थदण्ड आरोपित किये जाकर अतिक्रमित भूमि से आधिपत्य हटाये जाने का आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी, बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.1994 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.11.1996 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) राजस्व निरीक्षक द्वारा नपती के संबंध में जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, वह कौन से सर्वे नं. की भूमि में तथाकथित अतिक्रमण की प्रस्तुत की गई है, इसका उल्लेख नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को अतिक्रामक मानकर आदेश पारित करने में भूल की गई है।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अनावेदक क्र. 3 हरि पिता धुमा को उसकी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिलाने के एकमात्र उद्देश्य से आवेदक को अतिक्रामक मानकर तथाकथित अतिक्रमण की गई भूमि में अनावेदक क्र. 3 को रास्ता दिलाने में गंभीर वैधानिक भूल की गई है।

(3) अपर आयुक्त ने व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सेंधवा के द्वारा विपक्षी आपत्तिकर्ताओं के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की थी कि अनावेदकगण आवेदक की भूमि पर से आवागमन न करे। उक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की आज्ञा अपर न्यायाधीश, बड़वानी द्वारा भी स्थिर रखी गई है। उसके विपरीत अनावेदक क्र. 3 को रास्ता दिलाने के एकमात्र उद्देश्य से आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, यह निर्पित करने में गंभीर वैधानिक भूल हुई है।

(4) आवेदकगण की भूमि की नपती दो मर्तबा की गई और दोनों ही नपतियों में तथाकथित अतिक्रमण की गई भूमि के रकबे में अंतर है। ऐसी त्रुटिपूर्ण नपतियों के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध आदेश पारित करने में भूल हुई है।

(5) आवेदकगण की भूमि से शासकीय कांकउ की भूमि लगी हुई है, अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा कांकड की भूमि की नपती की ही नहीं गई, इसके बावजूद कांकड भूमि की चौड़ाई कम हो गई है, ऐसा निर्णय देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है।

(6) अपर आयुक्त ने तहसीलदार के स्थल निरीक्षण 12.02.1991 के आधार पर आवेदकगण को अतिक्रामक होना निर्पित किया है, जो स्पष्ट रूप से अवैध है। दिनांक 12.02.1991 को कोई सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होकर निरस्ती योग्य है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 16.01.1991 को प्रश्नाधीन भूमि की नपती करने के उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवेदकगण का प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। तत्पश्चात् दिनांक 12.02.1991 को तहसीलदार द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया जाकर प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर आवेदकगण का अतिक्रमण पाया गया। ऐसी अवस्था में यह तथ्य निर्विवादित रूप से प्रमाणित होता है कि शासकीय भूमि नाला सर्वे नं. 62/1 पर आवेदकगण द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अत: आवेदकगण का यह तर्क मानने योग्य नहीं रहता है कि किस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, यह सिद्ध नहीं किया गया है। उक्त स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा उचित एवं वैधानिक आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं होने से उनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.1996 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर